संख्या– 320/VI-2/2011–8(5)2010

प्रेषक,

श्याम सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2011

विषयः– जनपद देहरादून के पर्वतीय जनजाति क्षेत्र विकास खण्ड कालसी के ग्राम पंचायत अस्टी तथा ग्राम पंचायत कोथी, अनुसूचित जाति बाहुल्य (एस0सी0एस0पी0) ग्राम में नवयुवक/युवतियों के सांस्कृतिक विरासत को जीवित एवं सरक्षण करने हेतु सांस्कृतिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3192/सं0नि0उ0/दो–3(निर्माण)/2010–11 दिनांक 25 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के पर्वतीय जनजाति क्षेत्र विकास खण्ड कालसी के ग्राम पंचायत अस्टी, अनुसूचित जाति बाहुल्य (एस0सी0एस0पी0) ग्राम में सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित आगणन ₹6.32 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹6.26 लाख (₹ छः लाख छब्बीस हजार) तथा विकास खण्ड कालसी के ग्राम पंचायत कोथी, अनुसूचित जाति बाहुल्य (एस0सी0एस0पी0) ग्राम में सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित आगणन ₹6.28 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹6.23 लाख (₹ छः लाख तेईस हजार) अर्थात कुल ₹12.49 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित धनराशि ₹12.00 लाख (₹ बारह लाख) मात्र (प्रति कार्य हेतु ₹6.00 लाख एवं ₹6.00 लाख) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा। उक्त कार्यो हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्थाओं से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जायेगा।

Budget 10-11

.....(2)

3. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाय।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यो के लिए सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर

....(3)

राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

14. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति–800–अन्य व्यय–03– कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन –00–24 वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–473(पी)/XXVII(3)/2010 दिनांक 31 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्या 320/VI-2/2011–8(5)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
3– जिलाधिकारी देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8– सम्बन्धित संस्था।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।